

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)
औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या : UPFS/2021/28435/LCK/LUCKNOW/1770/CFO

दिनांक : 24-02-2021

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION** पता **1650Kha,1686Sa,1704,1706,1709Kha,1711,1710,1713Kha,1309,1707,1709,1705,1712, 1708, Aurangabad Khalsa,Omaxe City Lucknow** तहसील - **Sarojninagar** प्लॉट एरिया **50791.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **83690.56** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **18** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बसेमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
HIG Block A 1	9	0	29.70 mt.
HIG Block A 2	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 3	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 4	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 5	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 6	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 7	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 8	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 9	9	2	29.70 mt.
HIG Block A 10	4	1	13.95 mt.
HIG Block A 11	4	1	13.95 mt.
HIG Block A 12	4	1	13.95 mt.
MIG Block A 13	7	0	22.65 mt.
MIG Block A 14	7	0	22.65 mt.
LIG Block A 15	7	0	22.60 mt.
LIG Block A 16	7	0	22.60 mt.
LIG Block A 17	7	0	22.60 mt.
EWS Block A 18	4	0	13.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **LUCKNOW MUNICIPAL CORPORATION** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : (01) परिसर में प्रस्तावित MIG ब्लॉक A-13 व A-14 में दोनों स्टेयर केस 01.25 मीटर चौड़ाई का प्रस्तावित है जबकि प्रत्येक ब्लॉक में मानक के अनुसार मुख्य स्टेयरकेस न्यूनतम 01.50 मीटर व दूसरी स्टेयरकेस न्यूनतम 01.25 मीटर चौड़ाई का बनाया जाना अनिवार्य होगा। (02) भवन के प्रत्येक बेसमेन्ट में मानक के अनुसार (कम से कम दो) स्टेयरकेस का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा। (03) प्रश्नगत भवन में मानक के अनुसार अग्निशमन/ढांचागत व्यवस्था यथा- कम्पार्टमेन्टेशन इत्यादि का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIJAY KUMAR SINGH

546A902FE4D42A5123E8A8F277613D624EF16119

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-02-2021
स्थान : LUCKNOW

25-02-2021